प्रेषक,

संख्या– /I/2018-04(1)/22/2017

भूपेश चन्द्र तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूजेवीएन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–1

देहरादून : दिनांकः 21 जून, 2018

विषयः– राज्य पोषित तिलोथ (आर0एम0यू0) एवं ढालीपुर (आर0एम0यू0) जल विद्युत परियोजना में पूंजीगत व्यय हेतु रू0 7.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1722/यूजेवीएनएल/प्र.नि./ए–17 दिनांक 05.05.2018 एवं 1721/यूजेवीएनएल/प्र.नि./ए–17 दिनांक 05.05.2018 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य पोषित तिलोथ (आर0एम0यू0) कार्यों हेतु रू0 4.00 करोड़ एवं ढालीपुर (आर0एम0यू0) जल विद्युत परियोजना हेतु रू0 3.00 करोड़ सहित अंशपूंजी के रूप में कुल रू0 7.00 करोड़ **(रू0 सात करोड़ मात्र)** की धनराशि वर्णित अनुदान/लेखाशीर्षकों के अर्न्तगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय वहन हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. यूजेवीएन लि0 द्वारा उक्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय साथ ही ऐसे अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु वांछित ऋण भी यथाशीघ्र अवमुक्त करा ली जाय।
2. स्वीकृत धनराशि का यूजेवीएन लि0 के निदेशक वित्त द्वारा तैयार बिलों पर जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरान्त ही आहरण किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय।
4. स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, प्रचलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 तथा शासन के मितव्ययता विषयक आदेशों का अनुपालन शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जायेगा।
6. योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य सरकार को समयबद्ध रूप से प्रेषित किया जायेगा।
7. व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इसका व्यय कदापि अन्य मदों में किया जाना वर्जित रहेगा।
8. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागीय परियोजना प्रभारी/अधिकारी तथा निर्माण एजेन्सी/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

कृपया!....

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही कोषागार से आहरण सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत की गई धनराशि व्यय करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना राज्यांश सहित सभी स्रोतों से व्यय धनराशि लागत की सीमान्तर्गत हो।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–21 के अन्तर्गत अंशपूंजी के रूप में लेखाशीर्षक "4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–जल विद्युत उत्पादन–190–सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश–06–जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेवीएनएल में निवेश –30–निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–205/XXVII(2)/2018 दिनांक 12 जून, 2018 द्वारा उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक : अलॉटमेन्ट आई0डी0।

भवदीय,

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव।

संख्या– 637 (2)/I/2018-04(1)/22/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग–1 एवं 2, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार सागर)
अनु सचिव।